न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/98 दायरा दिनांक : 27.06.2022

उनवान

श्योजीराम आयु 70 वर्ष पुत्र गंगाराम, जाति नाई, निवासी करनाहेडा, तहसील बारां, जिला बारां राजस्थान .... अपीलांट

बनाम

1. सहायक आयुक्त, देव स्थान विभाग, कोटा राजस्थान
2. मंदिर श्री कल्याणराय जी बिराजमान बारां नाबालिग वलियात तहसीलदार बारां
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां राजस्थान
4. चतुर्भुज पुत्र गंगाराम, जाति धाकड, निवासी करनाहेडा, तहसील बारां, जिला बारां राजस्थान
5. मथुरालाल पुत्र गंगाराम, जाति धाकड, निवासी करनाहेडा, तहसील बारां, जिला बारां राजस्थान .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राज़स्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बाबू लाल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 04.07.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 162/2010/दावा निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम करनाहेडा, तहसील बारां में खसरा नं. 30 रकबा 1.41 हेक्टर, खसरा नं. 94 रकबा 2.50 हेक्टर, खसरा नं. 202 रकबा 0.33 हेक्टर कुल 3 किता रकबा 4.32 हेक्टर भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.2022 से वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी भूल की है। विवादित भूमियां दिनाक 15.10.1955 को जब टीनेन्टी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

एक्ट लागू हुआ, उस समय गोपीलाल पुत्र माधो, जाति धाकड, निवासी करनाहेडा के सब टीनेन्सी में दर्ज थी तथा इन भूमियों पर गंगाराम काबिज था। गंगाराम के तीन लड़के है जिनमें वादी एवं रेस्पोडेंट कम 4 व 5 हैं। इस प्रकार वादग्रस्त भूमियों पर टीनेन्सी एक्ट लागू होते समय जो व्यक्ति काबिज होता उसके खाते में दर्ज होनी चाहिये किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने ऐसा नहीं करके भारी भूल की है। पत्रावली में पेश की गई जमाबंदियों, खसरा गिरदावरी व फर्द मिलान क्षेत्रफल से इस बात की ताईद होती है कि दिनांक 15.10.1955 को वादग्रस्त भूमियों पर वादीगण के पूर्वज ही काबिज थे। तनकी नं. 2 में स्पष्ट है कि टीनेन्सी एक्ट लागू होते समय वादग्रस्त भूमि गोपीलाल पुत्र माधोलाल की सब टीनेन्सी में दर्ज थी। तनकी नं. 2 का विवेचन करते समय इस तनकी को अपीलांट के विरूद्ध निर्णित करके भारी भूल की है। तनकी नं. 2 में अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट लिखा है कि संवत 2016 से 2019 की जमाबंदी में यह भूमि उपकृषक गंगाराम पुत्र गणेशराम के नाम दर्ज है। उपकृषक खसरा नं. 30 व 65 को गोपीलाल पुत्र माधोलाल दर्ज है। इस प्रकार इस तनकी को अपीलांट के विरूद्ध निर्णित करके भारी भूल की है। पत्रावली में साक्ष्य से स्पष्ट है कि गोपीलाल पुत्र माधोलाल वादी अपीलांट के पूर्वज हैं। इस प्रकार वादग्रस्त भूमियों को अपीलांट की खातेदारी में दर्ज करना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं करके भारी भूल की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.2022 निरस्त फरमाया जावे तथा वादग्रस्त भूमियों को वादी अपीलांट के खाते दर्ज करने की डिक्री बहक अपीलांट खिलाफ रेस्पोडेंट जारी की जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान अंकित किया कि विवादित भूमियां दिनाक 15.10.1955 को जब टीनेन्टी एक्ट लागू हुआ, उस समय गोपीलाल पुत्र माधो, जाति धाकड, निवासी करनाहेडा के नाम दर्ज थी। गंगाराम के तीन पुत्र हैं तीनों पुत्रों में से केवल श्योजीराम ने दावा किया। अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेज पेश किये उनसे यह साबित है कि हमारे खातेदारी में सबटीनेन्ट दर्ज थे। अतः अपील स्वीकार की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार वादी/अपीलांट ने विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पोडेंटगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर ग्राम करनाहेडा, तहसील बारां की आराजी खसरा नं. 30, 94, 202 कुल किता 3 कुल रकबा 4.32 हेक्टर विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करने एवं प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित आराजी पर वादी को शांति पूर्वक काबिज काश्त बना रहने देवे, उसके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करें ना ही किसी भी प्रकार से बेदखल करें यह अनुतोष चाहा है।

अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवायी उभयपक्ष पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 25.04.2022 से वादी का वाद खारिज करते हुए अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वादी गलत वाद पत्र प्रस्तुत कर मंदिर की भूमि को खाते दर्ज करवाना चाहता है तथा भूमि पर गैर कानूनी रूप से कब्जा करना चाहता है। वादी तहसीलदार की नीलामी कार्यवाही से व्यथित है तथा नीलामी कार्यवाही को बन्द करवाकर कब्जा करना चाहता है। वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम करनाहेडा संवत 2015 से 2024 प्रदर्श 9 के अनुसार साबिक खसरा नं. 30 रकबा 8.09 बीघा के हाल खसरा नं. 30 रकबा 8.09 बीघा तथा साबिक खसरा नं. 66 रकबा 20.17 बीघा के हाल खसरा नं. 65 रकबा 18.10 बीघा, खसरा नं. 66 रकबा 2.07 बीघा बने हैं। नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम करनाहेडा संवत 2038 से 2057 प्रदर्श 8 के अनुसार साबिक खसरा नं. 30, 65, 66 रकबा अंकित नहीं, के हाल खसरा नं. 30 रकबा 1.41 हेक्टर, खसरा नं. 94 रकबा 2.58 हेक्टर, खसरा नं. 202 रकबा 0.33 हेक्टर बने हैं।

नकल जमाबंदी ग्राम करनाहेडा संवत 2064 से 2067 प्रदर्श 10 के अनुसार खसरा नं. 30, 94, 202 कुल किता 3 कुल रकबा 4.32 हेक्टर आराजी मंदिर श्री कल्याण राय जी विराजमान बारां खातेदार के खाते दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी ग्राम करनाहेडा संवत 2016–2019 प्रदर्श 12 के अनुसार खसरा नं. 30, 65, व 66 की विवादित आराजी माफी मंदिर श्री कल्याण जी विराजमान गांव पुजारी कन्हैयालाल, मदनलाल पिसरान जगन्नाथ, कौम ब्राहमण, साकिन समसपुरा दर्ज रिकार्ड है। इसी जमाबंदी के कॉलम नं. 5 में खसरा नं. 66 पर गंगाराम वल्द गनेशराम, कौम गुर्जर, साकिन देह, खसरा नं. 30 पर गोपीलाल वल्द माधोलाल धाकड, साकिन देह, खसरा नं. 65 पर गोपीलाल, हीरालाल, पन्नालाल पिसरान माधो धाकड, साकिन देह अंकित है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट द्वारा ऐसी कोई जमाबंदी पेश नहीं की है जिसमें विवादित आराजी पर अपीलांट या अपीलांट के पूर्वजों का नाम खातेदार के रूप में अंकित रहा हो। अपीलांट द्वारा नकल खसरा गिरदावरी संवत 2012 से 2015 प्रदर्श 13, संवत 2020 प्रदर्श 14 व 15 संवत 2021 से 2024 प्रदर्श 16 व 17 संवत 2025–2028 प्रदर्श 18, संवत 2029 से 2032 प्रदर्श 19, 20 के अवलोकन से सम्पूर्ण विवादित आराजी पर एक मात्र अपीलांट का कब्जा साबित नहीं होता एवं कब्जे के आधार पर विवादित आराजी पर अपीलांट को खातेदार कृषक घोषित करते हुए रेस्पोडेंटगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से हम अपील के इस स्तर पर अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.2022 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/07/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

श्योजीराम आयु 70 वर्ष पुत्र गंगाराम, जाति नाई, निवासी करनाहेडा, तहसील बारां, जिला बारां राजस्थान
.... **अपीलांट**

बनाम

1. सहायक आयुक्त, देव स्थान विभाग, कोटा राजस्थान
2. मंदिर श्री कल्याणराय जी बिराजमान बारां नाबालिग वलियात तहसीलदार बारां
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां राजस्थान
4. चतुर्भुज पुत्र गंगाराम, जाति धाकड, निवासी करनाहेडा, तहसील बारां, जिला बारां राजस्थान
5. मथुरालाल पुत्र गंगाराम, जाति धाकड, निवासी करनाहेडा, तहसील बारां, जिला बारां राजस्थान

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2022/98**
मु.द.नं0 **162/2010/दावा**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, बारां**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **25.04.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **11 माह 06** सन् **2025**

श्री **बाबू लाल जैन** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.2022 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **04 माह 07 सन् 2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)